न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी – उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

अपील संख्या 121/2021 निर्णय दिनांकः– 10-03-2025
(जीसीएमएस संख्या 2021/224)

1. जगदीप सिंह पुत्र श्री बच्चन सिंह जाति जटसिक्ख निवासी 42 केवाईडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. करमचंद पुत्र विचित्र सिंह जाति गिर्ध निवासी गावं दरकाटी तहसील हसील ज्वाली जिला कांगडा हिमाचल प्रदेश।
2. बैसादेवी पुत्री विचित्र सिंह जाति गिर्ध निवासी गावं दरकाटी तहसील हसील ज्वाली जिला कांगडा हिमाचल प्रदेश।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, पूगल।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 10–01–2020
उपखण्ड अधिकारी, पूगल

उपस्थितिः–

1. श्री विजय भादाणी, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, पूगल के आदेश दिनांक 10–01–2020 जिसके द्वारा अपीलांट को विशेष आवंटन में आवंटित भूमि का आवंटन किसी अन्य व्यक्ति को किया गया है, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा तहसील पूगल में चक 4 एसएम के मुरब्बा नम्बर 198/01 तादादी 25 बीघा कमाण्ड भूमि के बतौर विशेष आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त आवेदन पत्र के साथ अपीलांट द्वारा तमाम सबूत भी प्रस्तुत किये गये थे। जिस पर अदालत मातहत द्वारा भूमि का आवंटन अपीलांट को विशेष आंवटन श्रेणी में कर दिया गया। जिसकी राशि भी अपीलांट द्वारा खजानाराज में जमा करवाये जाने पर अदालत मातहत द्वारा वादगत भूमि का आवंटन आदेश भी अपीलांट के नाम से जारी कर दिया गया। मगर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश से उक्त भूमि का आवंटन पोंग डेम आरक्षित श्रेणी में आवंटित कर दिया गया। अपीलांट ने वादगत भूमि की निर्धारित राशि जमा करवा दी थी एवं आवंटन आदेश भी जारी किया जा चुका था मगर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादगत भूमि का आंवटन किसी अन्य व्यक्ति को अन्य श्रेणी में आवंटन कर दिया जाता है जो न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को आवंटित भूमि का आवंटन किसी अन्य व्यक्ति को करने से पूर्व अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। यदि जारी किया भी गया है तो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की तामील विधिवत नहीं कराई गई है। अपीलांट के धारण में कोई भूमि नहीं है तथा अपीलांट ने आवंटित भूमि की राशि जमा करवा दी थी यदि पूर्व में आवंटित भूमि का आवंटन किसी अन्य व्यक्ति को कर दिया गया है तब भी अपीलांट आज भी भूमि पाने का अधिकारी है एवं अपीलांट द्वारा जमा राशि का समायोजन करते हुए अन्य भूमि आवंटन किये जाने का आदेश फरमाया जावे। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने कथन के समर्थन में आरआरटी 2015 स्प.पेज 443 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे। अभिभाषक अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में आरएलडब्ल्यू 2005 (2) आरजे पेज 596 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 10–01–2020 के विरूद्व अपील दिनांक 07–09–21 को पेश की है। जो विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अपीलांट को आवंटित भूमि का आवंटन पोंग डेम आरक्षित सूची में पोंग डेम विस्थापित को आवंटित किया जा चुका है। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

6. जहाँ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 10–01–2020 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 07–09–2021 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। प्रकरण में गुणावगुण पर निर्धारण से पूर्व मियाद के बिन्दु को अभिनिर्धारित किया जाना उचित पाते है। इस संबंध में हमारा अभिमत है कि विलम्ब के मामलों में न्यायालय का दृष्टिकोण समग्र रूप से न्याय का उद्वेश्य हासिल करने का होना चाहिए। विलम्ब शमन निम्न में से एक या से एक से अधिक कारणों पर आधारित होना चाहिए। मियांद कानून लोक नीति का पूरक है। इसका उद्वेश्य किसी पक्षकार के अधिकारों का हनन करना नहीं होना चाहिए। न्याय प्राप्ति हेतु अंतिम प्रयास तक कानूनी उपचार जीवित रहने चाहिए। इस संबंध में अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आरएलडब्ल्यू 2005 (2) आरजे पेज 596 में भी अभिधारित किया है कि **"Period of limitation does not run against non-petitioner being ex-parte order."** अतः उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत एवं प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

प्रकरण में जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है, अपीलांट ने आवंटन अधिकारी के समक्ष बतौर विशेष आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर तहसील पूगल में चक 4 एसएम के मुरब्बा नम्बर 198/1 तादादी 25 बीघा भूमि आवंटन की मांग की गई थी। आवंटन अधिकारी द्वारा अपीलांट के विशेष आवंटन के प्रार्थना पत्र पर उक्त भूमि का आवंटन अपीलांट को कर दिया गया था। जिसकी आदेश की पालना में अपीलांट द्वारा आवंटित भूमि की निर्धारित राशि भी खजानाराज में जरिये चालान संख्या 61 दिनांक 30—11—2005 एवं 01—12—2005 के द्वारा निर्धारित राशि 71630 रूपये खजानाराज में जमा करवाई जाने पर वादगत भूमि का आवंटन आदेश भी अपीलांट के पक्ष में जारी किया जा चुका था। इसके विपरीत अपीलांट का मुख्य कथन है कि अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है ना ही कोई नोटिस जारी किया गया। यदि किसी प्रकार का कोई नोटिस जारी भी किया गया है तो विधिवत रूप से उसकी तामील अपीलांट को नहीं करवाई गई है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत है।

चूंकि अपीलांट स्वयं ने न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए अपीलांट को पूर्व में आवंटित भूमि के बदले में अन्यत्र समान श्रेणी आवंटन की मांग की गई है। अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध किसी प्रकार की कोई रिलीफ नहीं चाहे जाने एवं पूर्व में आवंटित भूमि पोंग डेम आरक्षित श्रेणी में आरक्षित होने के कारण समान श्रेणी की अन्यत्र भूमि पाने का इच्छुक है। प्रकरण में दौराने बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा आवंटन नियम 13 ए (5) (4) की तरफ न्यायालय का ध्यान आकर्षित करवाया गया। जिसमें अभिलिखित किया गया है कि:—**Provided that the applicants to whom land could not be allotted due to the above procedure, may be allotted alternative un allotted land out of those lands which were**

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

previously notified and applications were invite for allotment of those lands, if there are no pending applications from other applicants for allotment such unallotted land.

उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार स्पष्ट है कि यदि कोई पात्र व्यक्ति उपर्युक्त नियमों के तहत प्राथमिकता में भूमि आवंटित नहीं करा सका है तो उसे अनावंटित भूमि आवंटित की जा सकेगी।

7. अतः उक्त नियम के प्रकाश में अपीलांट् की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है व अपीलाधीन आदेश दिनांक 10–01–2020 यथावत रखा जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पूगल को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की आज दिनांक की पात्रता की जॉच करते हुए, पात्रता सही पाये जाने पर अपीलांट द्वारा जमा राशि के समायोजन करते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

8. निर्णय आज दिनांक 10-03-2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर